रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2550] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2550] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

का.आ. 3231(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: 'esz-mef@nic.in' पर लिखित रूप में भेज सकेगा;

प्रारूप अधिसूचना

उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 350 किलोमीटर, फुलबानी से 135 किलोमीटर और रायगढ़ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य वृक्षों की 165 प्रजातियों, औषधियों की 132 प्रजातियों, लताओं की 48 प्रजातियों, स्तनपायियों की 43 प्रजातियों और चिड़ियों की 44 प्रजातियों से युक्त अपने वनस्पति और जीव-जन्तुओं की विभिन्नता के लिए जाना जाता है और कोटागढ़-चन्द्रपुर हाथी गलियारे का अभिन्न भाग गठित करता है |

और, प्रमुख वृक्ष प्रजातियां शाल और उसकी उप-प्रजातियां हैं। अभयारण्य में हाथी, जंगली सूअर, भालू, तेंदुए, हिरण, चीतल, खरगोश और सांभर जैसे वन्य पशु पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, साल, धनेश, मोर और कई प्रकार के

सरीसृप भी पाए जाते हैं। यह वन प्रकार उत्तरी भारत के प्रायद्वीपीय शाल वन तथा चैम्पियन ओर सेठ के वर्गीकरण के अनुसार टर्मिनेलिया टोमेंटोसा और ड्राई बेम्बू ब्रेक्स का समिति खंड है।

और, अभयारण्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भाग चंद्रापुर हाथी गलियारे का एक भाग है तथा यह रायगढ़ वन प्रभाग की मुनीगढ़ रेंज से होते हुए लखारी घाटी अभयारण्य से तथा कालाहांडी वन प्रभाग से हाथियों के लिए भ्रमणशील मार्ग है तथा अन्य क्षेत्र वन भूमि और निवास क्षेत्र, धान के खेत, मार्ग, नदी, नाले इत्यादि हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक पाया गया कि अभयारण्य तथा इसकी वनस्पति-जात और प्राणि-जात की सुरक्षा के लिए पारि-संवेदी जोने की अपेक्षा अनिवार्य है।

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लगभग 1400.78 हैक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक क्षेत्र का है | इसका सीमा विवरण **उपाबंध-I** पर दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा प्रमुख बिन्दुओं पर इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ-साथ इसके भीतर आने वाले 159 ग्रामों की सूची **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है |

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वन और गैर-वन दोनों को सम्मिलित करता है:-

जिला का नाम	वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र		कुल क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में
		ग्रामों की सं.	वर्ग कि.मी. में क्षेत्र	
कंधामल	723.73	136	592.13	1315.86
रायगढ़	58.96	23	25.96	84.92
कुल	**782.69**	**159**	**618.09**	**1400.78**

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक मास्टर प्लॉन सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक मास्टर प्लॉन सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक मास्टर प्लॉन पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 23, 27, 30 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों

की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, उड़ीसा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमिटर की दूरी से परे पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्वपरिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही नए होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है । मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विद्यमान आरा मशीनों का नया विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनोपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
10.	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन मास्टर प्लॉन और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
11.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।

		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
13.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
14.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	प्लास्टिक थैलों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	यथा लागू समुचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और न्यूनीकरण उपायों के अनुसार होंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	वायु (जिसके अन्तर्गत ध्वनि है) और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
24.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	सुरक्षा बलों के कैम्प ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।
27.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए कनात, लकड़ी के घर आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी । परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा । (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन सन्निर्माण के विस्तार तक एक किलोमीटर के परे सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञा दी जाएगी और

		अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों का विनियमन जोनल मास्टर प्लॉन के अनुसार किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक मास्टर प्लॉन के अनुसार होगा।
ग. अनुमत क्रियाकलाप		
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
31.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
34.	वानस्पतिक घेराबन्दी ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला कलेक्टर, कंधामल, उड़ीसा सरकार	अध्यक्ष
(ख)	जिला पुलिस अधीक्षक, कंधामल	सदस्य
(ग)	कलेक्टर, रायगढ़ का प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ का प्रतिनिधि	सदस्य
(ङ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(च)	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य
(छ)	संभागीय वन अधिकारी, रायगढ़	सदस्य
(ज)	क्षेत्रीय अधिकारी, उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और	सदस्य
(झ)	संभागीय वन अधिकारी, बल्लीगुन्डा	सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें -

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन

में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/42/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध - I

कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

पारि-संवेदी जोन की कोटगढ़ मुनीगुडा पीडब्ल्यूडी मार्ग तथा कंधामल जिले ओर दुर्गापंगा से 3 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले की साझी जिला सीमा के सम्मलिन बिंदु से शुरू होती है तथा लगभग 1.5 किलोमीटर तक रायगढ़ और कंधामल की साझी सीमा के साथ-साथ चलते हुए दीक्षणावर्त्त उत्तर पश्विम दिशा में और फिर तमागुड़ी आरएफ से सना भिंद्रा होते हुए रायगढ़ के अंदर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है फिर बाणगंगा, मलिगन के गांव की सीमा से होकर उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं और दिनगरपंगा में देपगुड़ा आरएफ सीमा को छूती है और देपगुड़ा आरएफ सीमा के पास उसी दिशा में मुड़ जाती है तथा टंगीकायरी में रायगढ़ और कंधामल की साझी सीमा को छूती है। तब यह सराबुली गांव तक उसी दिशा में साझी जिला की ओर चलते हुए सनामनदुरी, कुमुरूपी से होते हुए रघुबरी आरएफ के माध्यम से रायगढ़ जिले में पुन:प्रवेश करती है तथा पुडेनपडार में साझी जिला सीमा को छूती है। फिर यह साराचांदगड़ी गांव तक कालांडी और कंधामल की जिला सीमा के उत्तर को मुड़ जाती है। साराचांदगुड़ी से यह सरधापुर से होते झीरीपाती 'ए' आरएफ सीमा के पास पूर्व को मुड़ जाती है और संरुगबारू में बेलघर को छूती है। सुरंगाबारू से यह बेलघर आरएफ के अंदर यह पूर्व की और मुड़ती है तथा गुसुपा गांव के निकट उतेई नाला पार करती है तथा मुंडीगढ़ 'ए' डीपीएफ के अंदर बढ़ी है तथा मटरूगन में एनएच 59 तथा जलेसपता में उसी एनएच को पार करती है। जलेसपता से यह बड़बंधा, डलाबली, जगडी गांव को छूते हुए यह तुमुदीबंधा यूडीपीएफ के अंदर पूर्व की ओर मुड़ती है। जगदी से यह सिरला तक दक्षिण की ओर मुड़ती है और फिर पूर्व के साथ लगते गांव सिनागुड़ा की ओर मुड़ जाती है। सिनागुड़ा से यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तब पूर्व के मध्य से अदागन आरएफ, तब हडागन, बथेड़ी, कुकापांगा, अदिगम्बा, परहतियावादी गांवों को छूते हुए पकरी आरएफ में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। परहतियाबादी से यह श्रीपकल गांव को छूते हुए श्रीरामपुर 'बी' पीआरएफ के अंदर दक्षिण की मुड़ती है तब गांव देबरही सोनपुर और बुडामहा के पास श्री रामपुर को छूती है तथा सुलुमहा गांव की ओर बढ़ती है। तक यह दीमुरू नदी को पार करते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा श्रीरामपुर, कुचीमिला, तियमहा, दुरीगुड़ा गांव की सीमा को छूते हुए पश्चिमी की ओर मुड़ जाती है तथा सिरंगा में बोंडरू आरएफ

में प्रवेश करती है। सिरंगा से यह बोंदरू आरएफ लेस्सेरी एक्स आरएफ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और फिर दुर्गापंगा आरएफ के अंदर बोंदरू, धाराकोट, सजेली गांवों की सीमा को छूते हुए कालीशीगुड़ा के निकट साझी जिला सीमा पर मिलती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में रायगढ़ और कंधामल की साझी जिला सीमा की ओर मुड़ जाती है तथा शुरूआती बिंदु पर मिल जाती है।

उपाबंध –II

कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

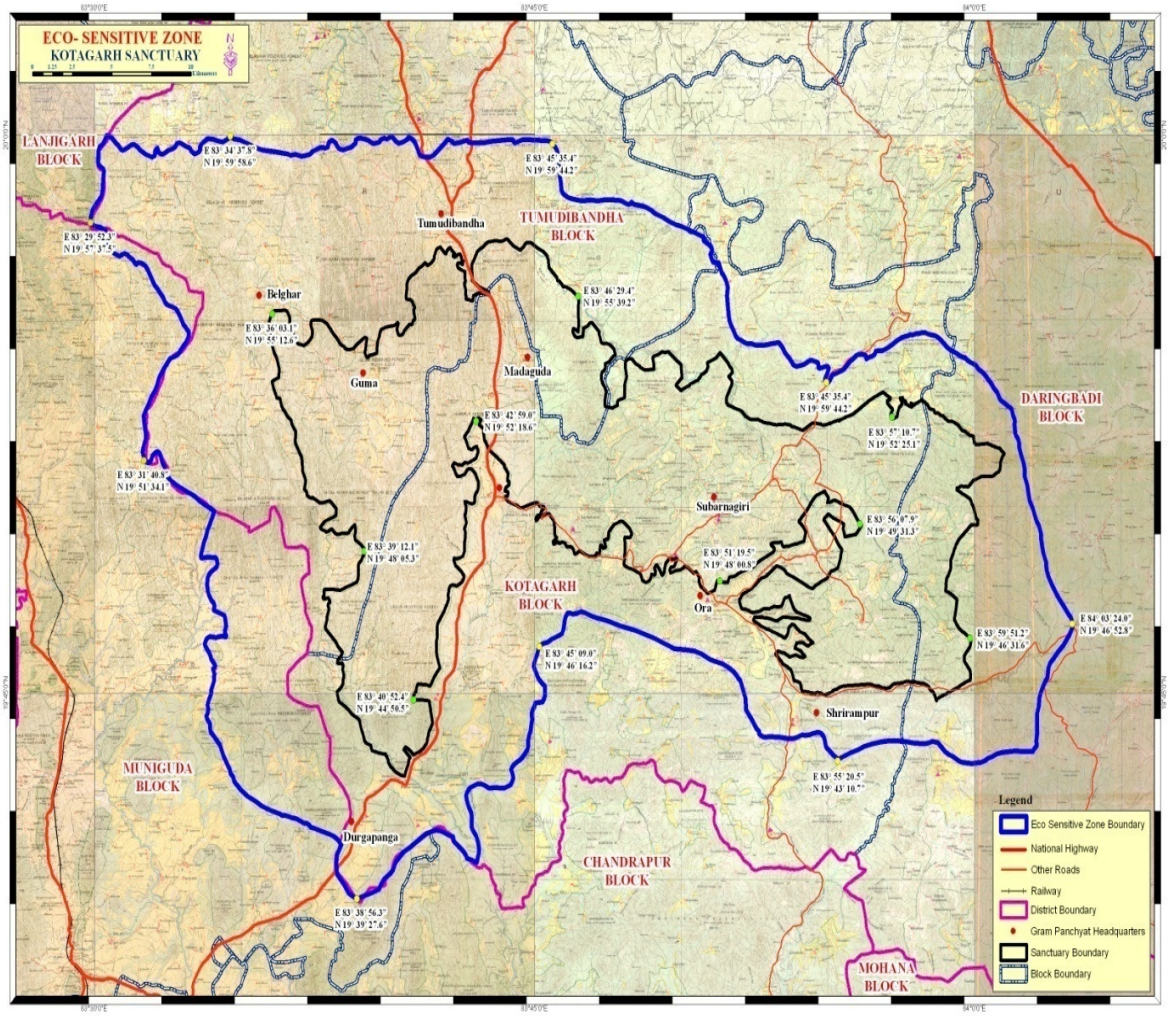

उपाबंध - III

कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, उड़ीसा के प्रस्तावित पारि-संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव के नाम
1	कन्धमाल	कोटगढ़	डिमिली
2			मेरागुड़ी
3			बहालिंगी
4			बोंदापिपिली
5			दुर्गापाङ्गा
6			मीडियघाटी
7			इर्पीगुड़ा
8			निलिगुड़ा
9			मजूरकूपा
10			पँड़ाइर्पी
11			भंड़री
12			रैंडबली
13			गीताबाली
14			रेतबली
15			लास्सेरी
16			जुदाबली
17			मस्कपांगा
18			मडगुडी
19			बोद्द
20			सरलीगुड़ा
21			दुरीगुड़ा
22			गुम्पादर
23			सिनगुदा
24			डाँगमाल
25			रदिगुमा
26			नुआगां
27			देंगुदा
28			केसरगुड़ा
29			सिरंगा
30			दुरिंग
31			कुटिबली
32			दन्दुमा
33			दुआबेदा
34			दुरीगुड़ा
35			ओर
36			कुपुदमः
37			अदरी
38			ससीबाड़ी

39			सालकी
40			सितगुदा
41			श्रीरामपुर
42			श्यामः
43			अटाली
44			गुडरिकि
45			कुटीबड़ी
46			बदुसि
47			जरगीगुड़ा
48			पिलिमाः
49		दरिंगबड़ी	पांगली
50			लोटसबंधा
51			जिमरहा
52			बदली
53			झिम्बादि
54			अदिगम्बा
55			मतर्बादी
56			गंगारबड़ी
57			सपनबड़ी
58			अतिंबड़ी
59			गहकि
60			कुतिमः
61			गंदरगुड़ी
62			गदिमाहा
63			सिपिटिकल
64			पराहत्याबादी
65		तुमुदिबंधा	भालुगुड़ा
66			लिडरंग
67			सिंधीबहाली
68			कनिबरु
69			भद्रासल
70			गोलमपांगा
71			तुलंगपति
72			मस्कासरु
73			मुंडीमास्का
74			धूममास्का
75			धरणिमास्का
76			सिलकुडी
77			गोबिली
78			करलैंगी
79			सपरभाटा
80			किनादि

81			जांगड़ा
82			धुड़सी
83			बिलमल
84			धमँपंगा
85			रंजकना
86			बिकपंगा
87			सक्सेना
88			सम्बोली
89			बुर्लुबरु
90			माडलकुंआ
91			बेलघर
92			जलीपाड़ा
93			टुआकोला
94			रंगपरु
95			बतिपदा
96			गुरुलइमास्का
97			गुसुपा
98			तरगबली
99			सदंगी
100			मुंदती
101			देसूघती
102			सीकेपी
103			संझिरिपणि
104			बरगुड़ा
105			बड़गाओं
106			पुडेनपादार
107			झिरिपणि
108			सरधापुर
109			दुपटा
110			मलका
111			सन्धिपादर
112			तरलंगी
113			पिकुसी
114			गेरमेल
115			खडगबली
116			उषाबाली
117			सांगचुका
118			तुमुदिबंधा
119			गछेरिगों
120			घुमुरगाओं
121			पिंगड़ी
122			छछिंगा

123			सेलंग
124			मातृगाओं
125			बेनरबहाल
126			बड़ाबांधा
127			नुअमुंडा
128			बलिपथपदर
129			बिरिमिला
130			सिरला
131			कंपदा
132			ताहीपाड़ा
133			डबिंग
134			पसरदी
135			बुद्रुमिला
136			गुदरी
137	रायगडा	मुनिगुड़ा	करदपंगा
138			गरलगुड़ी
139			सिंगराडा
140			ढेपागुडा
141			डुम्बलु
142			बंडली
143			गुतिगुड़ा
144			सरधापुर
145			खंबरीगुड़ा
146			बमुनिगाओं
147			कुजिंग
148			दंबगुड़ा
149			लंगालबेड़ा
150			तिकरपाड़ा
151			तुयगुडी
152			तुअपदी
153			पोडगुडी
154			करदंगा
155			अम्बिरिखोला
156			बदकाण्डुलपाड़ा
157			मंडरा
158			सनमंदुरा
159			पानाडी

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप वि.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति, पर्यटन महायोजना सहित।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए निपटान किए गए मामलों का सारांश। विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों के लिए संविक्षा किये गए मामलों का सारांश । विवरण पृथक उपाबंध के रूप संलग्न करें ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों के लिए संविक्षा किए गए मामलों का सारांश । विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2015

S.O. 3231(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:-esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Kotagarh Wildlife Sanctuary situated about 350 Kilometres from Bhubaneswar in Odisha, 135 Kilometres from Phulbani and 100 Kilometres from Rayagada is well known for its flora and faunal diversity having 165 species of trees, 132 species of herbs, 48 species of climbers, 43 species of mammal & 44 species of birds and forms an integral part of Kotagarh-Chandrapur Elephant corridor;

AND WHEREAS, the primary tree species are Sal and its associates. Wild animals like Elephant, wild boar, bears, leopards, deer, barking deer, hare and Sambar are found in the Sanctuary. In addition Pangolin, Hornbills, Peacocks and a wide variety of reptiles are also found here. The Forest type is North Indian peninsular Sal forests and a limited patch of *Terminaliatomentosa* and dry bamboo brakes as per classification of Champion and Seth;

AND WHEREAS, the Northern and South Western portion of Sanctuary constitute a part of Chandrapur Elephant corridor and it is migratory route for Elephants from Kalahandi Forest Division and from Lakhari Valley Sanctuary through Muniguda Range of Rayagada Forest Division and the other area are Forest land and habitation area, paddy fields, roads, river, nalah etc. Considering the above, it is felt necessary that requirement of Eco-sensitive zone is essential for protection of Sanctuary and it's floral and faunal diversity;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Kotagarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 2 kilometre to 10 kilometre from the boundary of the Kotagarh Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Kotagarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1400.78 square kilometres with an extent varying from 2 kilometre to 10 kilometre from the boundary of the Kotagarh Wildlife Sanctuary and the boundary description of the such zone is given in **Annexure I**.

(2) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

(3) The list of 159 villages falling within the Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points are appended as **Annexure III.**

(4) The Eco-sensitive Zone includes both forest and non-forest areas as per details given below:

Name of the District	Forest Area in Square Kilometre	Revenue Area		Total area in Square Kilometre
		Number of villages	Area in Square Kilometre	
Kandhamal	723.73	136	592.13	1315.86
Rayagada	58.96	23	25.96	84.92
Total	**782.69**	**159**	**618.09**	**1400.78**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of one year from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(viii) Odisha State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zonemay be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 23, 27, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Odisha in consultation with the Departments of Revenue and Forests.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Kotgarh Wildlife Sanctuary except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage. -** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under. –

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A.Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities:	
9.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority.
11.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
13.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
14.	Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.	Regulated under applicable laws.
15.	Use of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste,the existing regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
26.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using 100% imported wood stock.

27.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
28.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.
C. Permitted Activities:		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Permitted under applicable laws.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Vegetative fencing	Permitted under applicable laws.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.,	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) The District Collector, Kandhamal, Government of Odisha– Chairman;

(b) Superintendent of Police of Kandhamal District - Member;

(c) Representative of Collector, Rayagada – Member;

(d) Representative of Superintendent of Police, Rayagada – Member;

(e) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha for a term of one year in each case – Member;

(f) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Odisha for a term of one year in each case – Member;

(g) Divisional Forest Officer, Rayagada– Member;

(h) Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board-Member; and

(i) Divisional Forest Officer, Balligunda – Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the

Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/42/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure-I

Boundary description of Eco-sensitive zone around Kotgarh Wildlife Sanctuary

The Eco-sensitive Zone boundary starts from the meeting point of KotagarhMuniguda PWD road and common district boundary of Kandhamal District and Rayagada District 3 kilometre from Durgapanga and moves north west in clock wise direction along common district boundary of Rayagada and Kandhamal about 1.5 kilometre Then to west inside Rayagada through Tamagudi RF to Sana Mindra. Then to north through village boundary of Banaganagan, Maligan and touches RF boundary of Dhepaguda RF at Dingarpanga and moves in same direction along Dhepaguda RF boundary and touches common district boundary Rayagada and Kandhamal at Tangikiari. Then it proceed along common district boundary in same direction upto village Srabuli then re-enter in Rayagada District through Raghubari RF via Sanamandura, Kumurupi and touches common district boundary at Pudenpadar. Then it moves north in District boundary of Kalahandi and KandhamaluptoSarachangudi village. From Sarachangudi it moves East along Jhiripani 'A' RF boundary via Saradhapur and touches Belghar RF at Surangbaru. From Surangbaru it moves East inside Belghar RF and crosses Uteinala near Gusupa village and proceed inside Mundigarh 'A'DPF and crosses NH – 59 at Matrugan and same NH at Jalespata. From Jalespata it moves East inside Tumudibandha UDPF touching village Badabandha, Dalabali, Jagadi. From Jagadi it moves South uptoSirla then towards East touching village Sinaguda. From Sinaguda it moves South then East amidst Adagan RF, then Pakari RF touching village Hadagan, Bathedi, Kukapanga, Adigamba, Parhatyabadi. From Parhatyabadi it moves South inside Srirampur 'B'PRF touching village Siripakal then village DaberhiSonepur and touches Srirampur 'C'RF near Budamaha and proceed upto village Sulumaha. Then it moves West crossing river Dimuru and moves inside Srirampur 'A'DPF touching village boundary Srirampur, Kuchimila, Tiamaha, Duriguda and enters to Bondru RF at Siranga. From Siranga it moves in South west direction in Bondru RF, Lassery Ext. RF then inside Durgapanga RF touching boundary of village Bondru, Dharakot, Sajeli and meet common district boundary near Kalishiguda and moves along common district boundary Rayagada&Kandhamal in South west direction and meet the starting point.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Kotgarh Wildlife Sanctuary, Odisha.

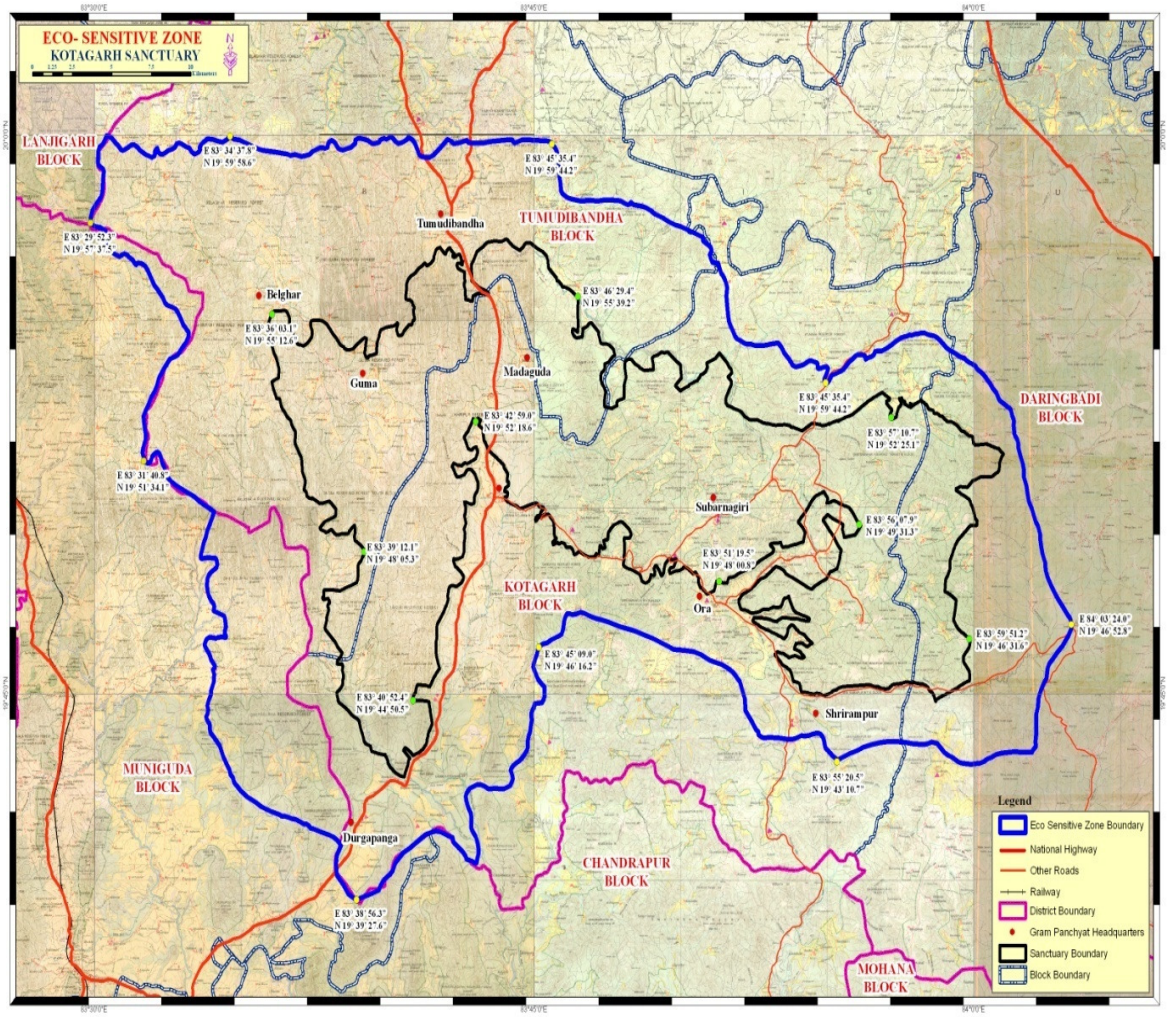

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Kotgarh Wildlife Sanctuary, Odisha.

Sl. No.	District	Tehsil	Name of Village
1	Kandhamal	Kotagarh	Dimili
2			Meragudi
3			Bahalingi
4			Bondapipili
5			Durgapanga
6			Midiaghati
7			Irpiguda
8			Niliguda
9			Majurkupa
10			Pandairpi
11			Bhandri
12			Rendabali

13			Getabali
14			Retabali
15			Lassery
16			Judabali
17			Maskapanga
18			Madagudi
19			Bodru
20			Sraliguda
21			Duriguda
22			Gumpadar
23			Sinaguda
24			Adangamal
25			Radiguma
26			Nuagan
27			Denguda
28			Kesraguda
29			Siranga
30			During
31			Kutibali
32			Danduma
33			Duabeda
34			Duriguda
35			Ora
36			Kupudamaha
37			Adari
38			Sasibadi
39			Salki
40			Sitaguda
41			Srirampur
42			Tiamaha
43			Atali
44			Gudrikia
45			Kutibadi
46			Badusi
47			Jargiguda
48			Pilimaha
49		Daringbadi	Pangali
50			Lotasbandha
51			Jimaraha
52			Baduli
53			Jhimbadi
54			Adigamba
55			Matarbadi
56			Gangarbadi
57			Sapanbadi
58			Atinbadi
59			Gahakia
60			Kutimaha
61			Gandragudi
62			Gadimaha

63			Sipitikal
64			Parahatyabadi
65		Tumudibandha	Bhaluguda
66			Lidrang
67			Sindhibahali
68			Kanibaru
69			Bhandrasal
70			Golampanga
71			Tulangpati
72			Maskasaru
73			Mundimaska
74			Dhumamaska
75			Dharanimaska
76			Silkudi
77			Goibali
78			Karlangi
79			Saperbhata
80			Kinadi
81			Jamuguda
82			Dhudsi
83			Bilamal
84			Dhamanpanga
85			Ranjakana
86			Bikapanga
87			Sakasana
88			Sramboli
89			Burlubaru
90			Madalakuna
91			Belghar
92			Jalipada
93			Tuakola
94			Rangaparu
95			Batipada
96			Gurulimaska
97			Gusupa
98			Taragabali
99			Sadangi
100			Munduti
101			Desughati
102			Sikapi
103			Sanjhiripani
104			Baraguda
105			Badagaon
106			Pudenpadar
107			Jhiripani
108			Saradhapur
109			Dupata
110			Malaka
111			Sandhipadar
112			Tarlangi

113			Pikusi
114			Germel
115			Khadagbali
116			Ushabali
117			Sanguchuka
118			Tumudibandha
119			Gacherigaon
120			Ghumuragaon
121			Pingadi
122			Chhachinga
123			Selang
124			Matrugaon
125			Benarbahal
126			Badabandha
127			Nuamunda
128			Balipathapadar
129			Birimila
130			Sirla
131			Kanipada
132			Tahipada
133			Dubing
134			Pasaradi
135			Budrumila
136			Gudri
137	Rayagada	Muniguda	Karadapanga
138			Garalagudi
139			Singarada
140			Dhepaguda
141			Dumbalu
142			Bandali
143			Gutiguda
144			Saradhapur
145			Khambariguda
146			Bamunigaon
147			Kujing
148			Dambaguda
149			Langalabeda
150			Tikarpada
151			Tuagudi
152			Tuapadi
153			Podagudi
154			Karadanga
155			Ambirikhola
156			Badakandulapada
157			Mandura
158			Sanamandura
159			Panadi

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.